

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(अनुलिपि प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र)
(कृपया निर्देश पीछे देखें)

केस नं.....
(खाली छोड़ा जाए)

1. प्रार्थी का नाम (In English).....
पिता का नाम (In English).....
माता का नाम (In English).....
एनरोलमेंट न0..... जन्म-तिथि.....
अदा की गई राशि..... बैंक ड्राफ्ट नं./बोर्ड रसीद संख्या..... दिनांक.....
2. प्रार्थी द्वारा अनुलिपि प्रमाण-पत्र की पहली/दूसरी/तीसरी प्रति लेने का उल्लेख किया जाये:.....
3. अनुलिपि प्रमाण-पत्र लेने का कारण.....
(अनुलिपि प्रमाण-पत्र मूल प्रमाण-पत्र के गुम हो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की अवस्था में ही जारी किया जाता है।)
4. परीक्षा का नाम..... अनुक्रमांक..... महीना/सत्र एवं वर्ष
परिणाम (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)..... प्राप्तांक
विद्यालय व जिला का नाम जहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की
विषय:- 1..... 2..... 3.....
4..... 5..... 6..... 7.....
5. कॉलम संख्या 04 में वर्णित परीक्षा से पूर्व दी गई इसी कक्षा की परीक्षा का विवरण जिसके अन्तर्गत आपने विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड परीक्षा दी एवं परिणाम अनुत्तीर्ण/कम्पार्टमेंट रहा :
अनुक्रमांक..... वर्ष एवं महीना/सत्र..... परिणाम.....
विद्यालय का नाम.....
6. स्थाई पता :.....
..... दूरभाष नं.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....

सत्यापन

(सत्यापन करने वाले अधिकारी द्वारा स्वयं भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी..... पुत्र/पुत्री श्री.....

ने वर्ष एवं महीना/सत्र..... में अनुक्रमांक..... के अन्तर्गत..... परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रार्थी द्वारा आवेदन-फार्म में भरे गए उपरोक्त विवरण सही हैं और प्रार्थी ने मेरे समक्ष आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रार्थी यहां अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं व इस पर सत्यापन कर्ता के हस्ताक्षर व मोहर आवेदन-पत्र व फोटो दोनों को छूते हों।

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पद :

मोबाईल न0 :

विद्यालय/संस्था की मोहर:

(केवल कार्यालय प्रयोगार्थ)

नोट: आवेदन-पत्र की जांच कर ली गई है और ठीक पाया गया है। प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये।

अधीक्षक (प्रमाण-पत्र)

सहायक

लिपिक

पूरा नाम सहित पत्र व्यवहार का पता
(प्रार्थी द्वारा स्वयं भरा जाए)

पूरा नाम सहित पत्र व्यवहार का पता
(प्रार्थी द्वारा स्वयं भरा जाए)

पिन कोड.....
मोबाईल न0.....

पिन कोड.....
मोबाईल न0.....

(महत्वपूर्ण निर्देश)

1. सभी प्रकार के अनुलिपि प्रमाण-पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन-पत्र व शुल्क अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन ही जमा करवाना होगा। ऑनलाईन आवेदन हेतु परिवार पहचान-पत्र की अनिवार्यता है। ऑफ लाईन भेजा गया आवेदन-पत्र व शुल्क मान्य नहीं होगा।
2. बोर्ड कार्यालय द्वारा मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक) वर्ष 1970 से 2003 तक की परीक्षाओं के अनुलिपि प्रमाण-पत्र बिना विषयवार अंक विवरण के ही जारी किये जाते हैं तथा मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) के वर्ष 2013 तक के अनुलिपि प्रमाण-पत्र बिना विषयवार अंक विवरण के ही जारी किये जाते हैं।
3. कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से न तो प्रार्थना-पत्र दे सकता है और न ही अन्य व्यक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है। प्रमाण-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है।
4. यदि आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से ठीक भरा हुआ है और विधिवत प्रमाणित है तो आवेदन-पत्र व शुल्क प्राप्ति की तिथि से सामान्यतः एक माह के अन्दर-अन्दर प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है। अपेक्षित शुल्क 500/-रूपये
5. अनुलिपि प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाने के अतिरिक्त सलंगन प्रोफोर्मा पर Undertaking भी देनी होगी, जिसमें उन सभी तथ्यों का हवाला देना होगा जिसके कारण उसे अनुलिपि प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति लेनी आवश्यक है। इसमें अनुलिपि प्रमाण-पत्र की पहली प्रति गुम होने/चोरी होने व नष्ट होने के कारण सहित कुल 800/- रूपये सामान्य शुल्क ऑन लाईन भरना होगा।
6. अनुलिपि प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं दूसरी प्रति लेने के लिए आवश्यक हैं वे सभी पूर्ण करनी होगी और इनके अतिरिक्त, यदि दूसरा अनुलिपि प्रमाण-पत्र चोरी हो गया है या गुम हो गया है तो उसके लिए एफ.आई.आर. भी दर्ज करवानी होगी जिसकी एक प्रति आवेदन-पत्र के साथ सलंगन करनी होगी। अनुलिपि प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति के लिए 500/-रूपये अतिरिक्त शुल्क सहित कुल 1000/-रूपये सामान्य शुल्क ऑन लाईन भरना होगा।
7. अनुलिपि प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति जारी करने के बाद अन्य अनुलिपि प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा, परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि अध्यक्ष महोदय निर्णय करें कि केस वास्तविक और वाजिब है तो उस अवस्था में प्रार्थी द्वारा प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति लेने के लिए जो औपचारिकताएं आवश्यक हैं उन सभी को पूर्ण करना होगा और अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट आदेशों के बाद अनुलिपि प्रमाण-पत्र की चौथी प्रति जारी की जा सकेगी।
8. यदि कोई प्रार्थी अपने अनुलिपि प्रमाण-पत्र की प्रति दस्ती लेना चाहता है तो उसे जिन कारणों से प्रमाण-पत्र की प्रति दस्ती लेना आवश्यक है तो सहायक सचिव/अधीक्षक (प्रमाण-पत्र) से अपने आवेदन-पत्र पर अनुमति करवानी होगी तथा प्रार्थी स्वयं अधीक्षक(प्रमाण-पत्र) के समक्ष उपस्थित होकर अपने दो फोटों एवं दो फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त दस्ती प्राप्त कर सकता है। उक्त अधिकारी द्वारा सिफारिश करते वक्त यह प्रमाणित करना होगा कि प्रार्थी द्वारा प्रमाण-पत्र दस्ती लेने के लिए जो कारण दिए गए हैं वह वास्तविक हैं और वह उनसे संतुष्ट है। प्रमाण-पत्र दस्ती लेने के लिए 300/-रूपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। दस्ती प्रमाण-पत्र लेने हेतु आवेदन-पत्र व शुल्क Online ही दोपहर 1:00 बजे तक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन स्वीकृत होंगे।
9. एक मास के अन्दर प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में प्रार्थी द्वारा सहायक सचिव (प्रमाण-पत्र), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को ई-मेल (ascr@bseh.org.in) के माध्यम से लिखना चाहिए और अपने उक्त पत्र में अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का वर्ष एवं महीना, जिला और शुल्क की रसीद संख्या भी लिखना चाहिए ताकि शीघ्र कार्यवाही की जा सके।
10. प्रार्थी को प्रमाण-पत्र में उसके विवरण परीक्षाफल घोष-पत्र में दिए गए विवरणों अनुसार ही जारी किया जाएगा।
11. बोर्ड कार्यालय द्वारा सूचित त्रुटि/त्रुटियों का समाधान करवाने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा। इस कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में बार-बार पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा एक माह के बाद प्रार्थी द्वारा भेजा गया आवेदन-पत्र स्वतः रद्द हो जाएगा। इसके बाद अनुलिपि प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थी द्वारा नया आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क सहित ऑन लाईन जमा करवाना होगा।
12. प्रार्थी कॉलम संख्या 03 में अनुलिपि प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन का कारण अवश्य लिखें।

13. आवेदन पत्र पर प्रार्थी अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।
14. प्रार्थी आवेदन पत्र पर पते के दोनों कॉलम में स्वयं अपने हाथ से पिन कोड सहित पूर्ण पता एवं दूरभाष नं. अवश्य लिखे।
15. अन्य राज्यों के प्रार्थी को अनुलिपि प्रमाण-पत्र के लिए, आवेदक को ऑफलाईन माध्यम से दो पहचान-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ प्रार्थना-पत्र जमा करना/भेजना होगा एवं आवश्यक शुल्क दस्ती जमा किया जा सकता है या सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

अनुलिपि प्रमाण-पत्र लेने हेतु निम्नलिखित नियमों अनुसार ही आवेदन-पत्र व फोटो सत्यापित करायें, अन्यथा आपका आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

1. नियमित परीक्षार्थी का आवेदन-पत्र एवं फोटो उसी सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है जिसके माध्यम से उसने परीक्षा दी थी। यदि कोई विद्यालय किसी कारण से बन्द हो गया है तो उस अवस्था में प्रार्थी अपना आवेदन-पत्र सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल बन्द होने की रिपोर्ट करवाते हुए सत्यापित करवाएं।
2. जिस परीक्षार्थी ने स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की थी वह अपना आवेदन-पत्र शिक्षा ग्रहण किये गये अन्तिम उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय के मुखिया द्वारा सत्यापित करवा सकते हैं। उन्हें आवेदन-पत्र के कॉलम संख्या 5 में परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व इसी विद्यालय के माध्यम से इसी कक्षा की परीक्षा देने से संबंधित समस्त विवरण भरने होंगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थी स्वयं अपना आवेदन पत्र शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी/विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/बोर्ड के सदस्य/बोर्ड के 'क' श्रेणी के अधिकारी से भी सत्यापित करवा सकते हैं।
3. (क) ओपन स्कूल का अनुलिपि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक से आवेदन-पत्र व फोटो सत्यापित करवाना होगा।
(ख) क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी (CTP) के अन्तर्गत परीक्षा पास करने वाले आवेदक को अपना आवेदन-पत्र व फोटो उस अंतिम विद्यालय के प्राधानाचार्य/मुख्याध्यापक से सत्यापित करवाना होगा, जहां पर उसने अध्ययन किया था। उन्हें आवेदन-पत्र के कॉलम संख्या 05 में परीक्षा देने सम्बन्धित समस्त विवरण भरने होंगे।
4. D.ED/D.El.Ed. के परीक्षार्थी जो किसी सेवा में कार्यरत हैं उन द्वारा अनुलिपि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन पत्र व फोटो अपनी संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा तथा जो परीक्षार्थी किसी सेवा में नहीं हैं उन द्वारा अपना आवेदन-पत्र व फोटो उस संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा जहां से उसने D.ED/D.El.Ed. परीक्षा उत्तीर्ण की है।
5. HTET के परीक्षार्थी अनुलिपि प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र व फोटो सरकारी विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित करवाकर भेजें।
6. जिस परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण/रि-अपीयर अथवा कम्पार्टमेंट है, उन्हें अनुलिपि आवेदन-पत्र एवं फोटो सत्यापित करवाना अनिवार्य नहीं है।

विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लिए निर्धारित सामान्य शुल्क

अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/कम्पार्टमेंट कार्ड के लिए शुल्क निम्न प्रकार से है:-

- | | |
|---|-------------|
| 1. अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/ कम्पार्टमेंट कार्ड की प्रथम प्रति के लिए | 500/- रूपये |
| 2. अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/ कम्पार्टमेंट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए | 800/- रूपये |
| 3. अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/ कम्पार्टमेंट कार्ड की तीसरी प्रति के लिए | 1000/-रूपये |
| 4. अनुलिपि प्रमाण-पत्र/अनुत्तीर्ण कार्ड/ कम्पार्टमेंट कार्ड दस्ती प्राप्त करने व दो दिन में भेजने के लिए अतिरिक्त शुल्क | 300/-रूपये |

टिप्पणी : जिन परीक्षाओं की परिणाम शीट्स नष्ट कर दी गई हैं/किन्ही कारणों से खराब/नष्ट हो गई हैं या उपलब्ध नहीं है, उनसे संबंधित प्रमाण-पत्र में आवेदक को विषयवार अंक विवरण नहीं दिये जायेंगे। उन्हें केवल बिना विषयवार अंक विवरण के अनुलिपि प्रमाण-पत्र ही जारी किये जाएंगे।

Self Declaration/Undertaking

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... जिला निम्न अनुसार Undertaking देता/देती
हूँ :-

01. यह कि मैंने अनुक्रमांक के अन्तर्गत मिडल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/व्यवसायिक/ओपन), डी0एड0/डी0एल0एड0/एचटेट परीक्षा वर्ष सत्र/मास में (विद्यालय का नाम)/जिला से दी है।
02. यह कि मेरे अनुलिपि प्रमाण-पत्र की प्रथम/द्वितीय प्रति गुम/नष्ट हो गई है और अब मुझे इसकी दूसरी/तीसरी प्रति की नितान्त आवश्यकता है।
03. यह कि मुझे जारी अनुलिपि प्रमाण-पत्र की प्रथम / द्वितीय प्रति गुम होने के बाद मुझे नहीं मिली है। यदि भविष्य में मुझे अनुलिपि प्रमाण-पत्र की प्रथम/द्वितीय प्रति कहीं मिलती है तो मैं उसे बोर्ड कार्यालय में जमा करवा दूंगा/दूंगी और उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना सत्य है और मेरे द्वारा इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर:

दिनांक:

पता :

.....
मोबाईल न0

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Application for Duplicate/Reissue Certificate)

Case No.

(Please read instructions overleaf)

(Left Blank)

1. Student's Name Date of Birth:
Father's Name Enrollment No.....
Mother's Name
Amount Bank Draft/Board Receipt No..... Date
2. No. of first/second/third copy of Duplicate/Reissue Certificate taken by the student
3. Reason for taking Duplicate/Reissue Certificate.....
(Duplicate/Reissue certificate is issued only in case of the loss/theft/destruction of the original/earlier issued Duplicate/Reissue certificate.)
4. Name of Exam Roll No. Month/Session & Year.....
Marks obtained Result (Pass/Fail)
Name of School, District from where the exam passed
Subject : 12.....3.....
4.....5.....6.....7.....
5. Details of Exam of this class taken before the exam mentioned in column no. 4 under which you appeared as school student and you passed/failed/compartiment in the Exam:
Roll No Year..... Session Result
Name of School
6. Permanent Address
..... Telephone No.
Date

Signature of Candidate

Verification

(Be self-filled by the verifying authority)

I certified that the studentS/D/O of Sh. the person whose photo/form is verified by me. He has passed the exam under Roll No.in Yearsession..... He has signed the application in front of me and all the details written in this application is true.

Please affix recent passport size photo and both the signature & stamp of attesting authority touch with application form.

Signature of attesting authority:

Name:

Designation:

Mobile No.:

School/Institute Stamp:

(for office use only)

Note: - Application has been checked and found correct. Issue him/her the Duplicate/Reissue Certificate.

Superintendent

Assistant

Clerk

Correspondence Address:

(Fill by the applicant your self in Block Letter)

.....
.....
.....

Pin Code.....

Mobile No.....

Correspondence Address:

(Fill by the applicant your self in Block Letter)

.....
.....
.....

Pin Code.....

Mobile No.....

(Important Instruction)

1. All types of Duplicate/Reissue Certificates for Application form and fee will have to be submitted online through Antyodaya Saral Portal. Application form and fee sent offline will not be accepted. Family ID is compulsory for online submission.
2. Board's office issue Duplicate/Reissue Certificate of Middle/Secondary/Sr. Secondary (Academic) Examinations from the year 1970 to 2003 are issued without subject-wise marks details and Secondary/Sr. Secondary (HOS) Duplicate/Reissue Certificate are issued without subject-wise marks details till year 2013.
3. No person can give application on behalf of some other person and nor can he get other's Certificate. Certificate is sent only through registered post.
4. If the form is filled completely and correctly and is duly attested then the certificate will be issued within one month of the receipt of application form and requisite fee of Rs. 500/-.
5. For the second copy of Duplicate/Reissue Certificate the applicant will also have to give an undertaking on the attached Performa, in addition to authenticating the application form prescribed by the competent authority, which will cite all the facts which would cause him to obtain a Duplicate/Reissue Certificate is to be filled on line for a total fee of Rs. 800, including the reason for missing/stolen and destroyed.
6. For the third copy of Duplicate/Reissue Certificate, the applicant who are required to take the second copy must complete all formality and in addition, if the second Duplicate/Reissue Certificate has been stolen or lost, then the F.I.R also, a copy of which has to be attached with the application form. For the third copy of the Duplicate/Reissue Certificate a total of Rs.1000, general fee will have to be filled online along with an additional fee of Rs. 500/-.
7. Usually no Duplicate/Reissue Certificate is issued after the issuance of third Duplicate/Reissue Certificate but in some special circumstances if the Chairman decides that the case is genuine and true, in that case the applicant will have to complete all the formalities meant for taking third Duplicate/Reissue Certificate and after the standing order of the Chairman he will be issued the fourth copy of Duplicate/Reissue Certificate.
8. If an applicant wants to take the Duplicate/Reissue Certificate by hand, he will have to get the application recommended for the reasons by Assistant Secretary (Certificate) or Supdt.(Certificate) by submitting his two passport size photo along with two photo IDs and presenting himself in front of Supdt.(Certificate). While recommending, the above stated officer will have to prove that the reasons given by the candidate for taking Duplicate Certificate by hand are genuine and he is satisfied with the proof attached. For taking the certificate by hand an extra fee of Rs. 300/- will be charged. For taking Duplicate/Reissue Certificate by hand, application forms and fee will be accepted online through to the Antyodaya Saral Portal till 1:00 pm.
9. In case the candidate doesn't get the certificate within a month, he must write to Assistant Secretary (Certificate) or a mail (ascr@bseh.org.in), Board of School Education Haryana, Bhiwani mentioning his name, Roll No., month and year of exam, district and number of the fee receipt so that quick action may be taken.
10. The details of applicant in the certificate will be released according to the details given in the examination gazette/ result sheet.
11. The applicant will be responsible for getting correction in mistake/mistakes in form informed by the Board. No reminder will be sent in this concern. After one month, the application form & fee sent by applicant will be itself cancelled. The applicant for the Duplicate/Reissue Certificate will have to submit a new application form online along with the prescribed fee.
12. Applicant must write the reason for application for Duplicate/Reissue Certificate in column no. 3.
13. Applicant must sign the application form himself.
14. Applicant must write address in his own hand writing with the complete address with pin code and Mobile number in both columns.

15. For the Duplicate/Reissue Certificate of the other state, candidate have to submit two residence ID's alongwith application form through offline and also paid requisite fee by hand or through Demand Draft in favor of Secretary, Board of School Education Haryana, Bhiwani.

For Taking Duplicate/Reissue Certificate candidate should get Application/photograph attested according to the following rules & regulations otherwise the application form will be cancelled.

1. Regular Student must get his application and photograph attested from Principal/Headmaster of the same Govt./Recognized school from where he had taken exam related to certificate applied for. If a school is closed due to any reason, in that case, the applicant should get his application form verified by the concerned Block Education Officer/District Education Officer and mentioned that the school has been closed.
2. The student who passed the exam as private student can get their application attested from the head of last attended High/Sr.Sec./College. But they will have to give all details in accordance with column 5 of the application related to the certificate applied for, through the same school related to the exam taken for the same class. Otherwise, he/she can get application attested by a Gazetted Officer/Head of the Deptt. of University/Member of Board/Class 1st officer of Board. The student who has not studied in any of the Govt./Recognized School up to the exam passed, they can get the affidavit attested by first class Magistrate with their application attested by a Gazetted Officer/Head of the Deptt. a University/Class 'I' Officer or Member of Board of School Education Haryana.
3. a) To get Duplicate/Reissue Certificate of Open School the applicant will have to get the form and photograph attested by the Head/Principal of a Govt. School.
b) An applicant passing the exam. under credit transfer policy (CTP) will have to get the form and photograph attested by the Principal/Head of the last attended School giving details according to column No. 5.
4. For Duplicate/Reissue Certificate, the D.ED/D.El.Ed student who are in service can get their application and photograph attested from the Head of the Institute where, He/She is serving and those who are not in service they have to get their application and photo verified by the Head of the institution from where they have passed the D.ED/D.El.Ed. Examination.
5. For Duplicate/Reissue Certificate of HTET, the student have to get his/her application form and photograph from a Govt. School of Haryana only.
6. Attestation of form and photo of Duplicate Certificate Performa is not compulsory for those Candidate, which exam result is Fail/Compartment/Reappear.

General fee for different types of certificates

For sending Duplicate/Reissue Certificate/fail card/compartment card within a month the fee is as follows:

- | | |
|--|------------|
| 1. For first copy of Duplicate/Reissue Certificate/fail card/compartment card | Rs. 500/- |
| 2. For second copy of Duplicate/Reissue Certificate/fail card/compartment card | Rs. 800/- |
| 3. For third copy of Duplicate/Reissue Certificate/fail card/compartment card | Rs. 1000/- |
| 4. For getting Duplicate/Reissue Certificate/fail card by hand, an additional fee will be charged. | Rs. 300/- |

Note: The examinations for which Result sheets have been destroyed or they have got destroyed for some reasons or not available, the applicant will not be given subjectwise marks related to that exam. They will be given Duplicate/Reissue Certificate without subject wise detail of marks.

Self Declaration / Undertaking

I S/D/O Sh.

Resident of

do hereby solemnly declare as under:-

1- That I appeared in Middle/Secondary/Senior Secondary (Academic/Vocational/Open) /D.Ed./D.El.Ed./HTET Examination March/ September/..... under Roll No. from (School Name) District

2- That my first/second copy of Duplicate/Reissue Certificate has lost/misplace/..... Now I require second/third copy of Duplicate/Reissue Certificate.

03- That I unable to locate my 1st /2nd copy of Duplicate/Reissue Certificate. If my 1st/2nd copy of Duplicate/Reissue Certificate is traced out in future, the same would be submitted to the Education Board, Bhiwani & not misused.

It is also certified that the above information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed therein.

Signature of Candidate

Dated:-.....

Address:

.....

.....

Mobile No.: